[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 14/2017- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 01 जुलाई, 2017
10 आषाढ़, 1939 शक

सा.का.नि. (अ).-- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट माल और सेवा कर आसूचना महानिदेशालय, माल और सेवाकर महानिदेशालय और लेखा परीक्षा महानिदेशालय में अधिकारियों को केंद्रीय कर अधिकारियों के रूप में नियुक्त करता है और उनमें केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 तथा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उन शक्तियों को निहित करता है जो भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट तत्स्थानी पंक्ति के केंद्रीय कर अधिकारियों द्वारा प्रयोक्तव्य हैं, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	**अधिकारी**	**वे अधिकारी जिनकी शक्तियों का प्रयोग किया जाना है**
(1)	(2)	(3)
1.	प्रधान महानिदेशक, माल और सेवा कर आसूचना या प्रधान महानिदेशक, माल और सेवा कर	प्रधान मुख्य आयुक्त
2.	महानिदेशक, लेखापरीक्षा	मुख्य आयुक्त
3.	प्रधान अपर महानिदेशक, माल और सेवा कर आसूचना, प्रधान अपर महानिदेशक, माल और सेवा कर या प्रधान अपर महानिदेशक, लेखापरीक्षा	प्रधान आयुक्त
4.	अपर महानिदेशक, माल और सेवा कर आसूचना, अपर महानिदेशक, माल और सेवा कर या अपर महानिदेशक, लेखापरीक्षा	आयुक्त
5.	अपर निदेशक, माल और सेवा कर आसूचना, अपर निदेशक, माल और सेवा कर या अपर निदेशक, लेखापरीक्षा	अपर आयुक्त
6.	संयुक्त निदेशक, माल और सेवा कर आसूचना, संयुक्त निदेशक, माल और सेवा कर या संयुक्त निदेशक, लेखापरीक्षा	संयुक्त आयुक्त
7.	उप/सहायक निदेशक, माल और सेवा कर आसूचना, उप/सहायक निदेशक, माल और सेवा कर या उप/सहायक निदेशक, लेखापरीक्षा	उपायुक्त या सहायक आयुक्त
8.	ज्येष्ठ आसूचना अधिकारी, माल और सेवा कर आसूचना, अधीक्षक, माल और सेवा कर या अधीक्षक, लेखापरीक्षा	अधीक्षक

9.	आसूचना अधिकारी, माल और सेवा कर आसूचना, निरीक्षक, माल और सेवा कर या निरीक्षक लेखापरीक्षा	निरीक्षक

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं.349/52/2017-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस. एल)
अवर सचिव, भारत सरकार